

विपेंद्र सिंह यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
कार्य विभाजन आदेश-2025
(अष्टम संशोधन)

क्रमांक / 97 / का.वि. / 26

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16.04.2026

मैं, विपेंद्र सिंह यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा, धारा-13(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य विभाजन आदेश 13.01.2025 में **अष्टम संशोधन** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन से निम्नानुसार करता हूँ :-

1. न्यायिक जिला स्थापना छिंदवाड़ा एवं तहसील स्थापनाओं में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उनके क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत साईबर अपराध (चाहे ऐसे मामले प्रथम-बार साईबर सेल के समक्ष शिकायत पर से उद्भूत हो) से संबंधित अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं अन्य विविध कार्यवाहियों की सुनवाई करेंगे। (जो इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया हो को छोड़कर)

यह आदेश दिनांक **16/04/2026** को तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

16.4.26
 (विपेंद्र सिंह यादव)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 छिन्दवाड़ा

पृष्ठांकन क्र. / 97 / का.वि. / 2026

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16/04/2026

प्रति,

- 1-माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 2-निज सहायक, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा।
- 3-माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, एट्रोसिटी, छिंदवाड़ा।
- 4-प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय छिंदवाड़ा।
- 5-माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय, जिला छिंदवाड़ा।
- 6-समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 7-सांख्यिकी अनुभाग- कार्यालय जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा।
- 8-पुलिस अधीक्षक जिला छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल एवं नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9-पुलिस अधीक्षक जिला छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल एवं नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की निम्नलिखित अधिनियम से संबंधित विभागों - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, कंपनी अधिनियम, धनकर अधिनियम, दानकर अधिनियम, आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, निर्यात क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम, कंपनीज (लाभ अतिकर) अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के प्रभारी अधिकारियों को सूचित/प्रेषित की जायें।
- 10-पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा की ओर संबंधित आरक्षी केन्द्रों/चौकियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

प्रेषित।

- 11-जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा।
- 12-कमिश्नर नगर निगम छिंदवाड़ा।
- 13-जिला आबकारी अधिकारी छिंदवाड़ा।
- 14-जिला खनिज अधिकारी।
- 15-मुख्य वन संरक्षक छिंदवाड़ा।
- 16-उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छिंदवाड़ा।
- 17-लोक अभियोजक छिंदवाड़ा।
- 18-उपसंचालक लोक अभियोजन छिंदवाड़ा।
- 19-जिला अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा।
- 20-सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर/पांडुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाड़ा/चौरई/तामिया/हरई।
- 21-अध्यक्ष अभिभाषक संघ छिंदवाड़ा/सौंसर/पांडुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाड़ा/चौरई/तामिया/हरई।
- ✓ 22-जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं विभागों को ई-मेल द्वारा सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत प्रेषित।

(विप्रेन्द्र सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिंदवाड़ा